भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
****

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

आयकर विभाग द्वारा कटौतियों और छूट के फर्जी दावों पर कार्रवाई

आयकर विभाग ने 14 जुलाई 2025 को देश के विभिन्न स्थानों पर एक बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य आयकर विवरणियों (आईटीआर) में कटौतियों और छूट के फर्जी दावों को सुगम बनाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर कार्रवाई करना है। यह कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लाभों के दुरुपयोग के विस्तृत विश्लेषण के बाद की गई है, जो अक्सर पेशेवर बिचौलियों के साथ मिलीभगत में होता है।

जांच में पता चला है कि कुछ आईटीआर तैयारकर्ताओं और बिचौलियों द्वारा संचालित संगठित रैकेट, जो काल्पनिक कटौती और छूट का दावा करते हुए विवरणी दाखिल कर रहे थे। इन फर्जी दाखिलों में लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग शामिल है, जिसमें कुछ तो अत्यधिक रिफंड का दावा करने के लिए झूठे टीडीएस विवरणी भी जमा कर रहे थे।

संदिग्ध प्रतिमान की पहचान के लिए, विभाग ने तीसरे पक्ष के स्रोतों से प्राप्त वित्तीय डेटा, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का लाभ उठाया है। इन निष्कर्षों को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में हाल ही में किए गए तलाशी और जब्ती अभियानों द्वारा और भी मजबूत किया गया है, जहां विभिन्न समूहों और संस्थाओं द्वारा फर्जी दावों के इस्तेमाल के प्रमाण मिले हैं।

विश्लेषण से धारा 10(13क), 80छछग, 80ड़, 80घ, 80ड़ड़, 80ड़ड़ख, 80छ, 80छछक, और 80घघख के अंतर्गत कटौती का व्यापक दुरुपयोग सामने आया है। छूट का दावा बिना वैध औचित्य के किया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी और उद्यमी इन मामलों में शामिल हैं। करदाताओं को अक्सर कमीशन के बदले बढ़े हुए रिफंड के वादे के साथ इन फर्जी योजनाओं में फंसाया जाता है। पूर्ण रूप से ई-सक्षम कर प्रशासन प्रणाली के बावजूद, अप्रभावी संचार करदाताओं की सहायता में एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है। यह देखा गया है कि ऐसे आईटीआर तैयारकर्ता अक्सर बड़ी संख्या में विवरणी दाखिल करने के लिए अस्थायी ईमेल आईडी बनाते हैं, जिन्हें बाद में छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आधिकारिक सूचना अपठित रह जाते हैं।

'करदाताओं पर विश्वास पहले' के अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार, विभाग ने स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर दिया है। पिछले वर्ष भर में, विभाग ने एसएमएस और ईमेल सलाह सहित व्यापक जनसंपर्क प्रयास किए हैं, संदिग्ध करदाताओं को अपने विवरणी को संशोधित करने और सही कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया है। परिसर में और बाहर दोनों जगह भौतिक जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। परिणामस्वरूप, लगभग 40,000 करदाताओं ने पिछले चार महीनों में अपने विवरणी को अद्यतन किया है, स्वैच्छिक रूप से ₹1,045 करोड़ की राशि के झूठे दावे वापस लिए हैं। हालांकि, इन कर चोरी रैकेट के मास्टरमाइंड के प्रभाव में संभवतः कई लोग अभी भी इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

विभाग अब निरंतर फर्जी दावों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें जहां भी लागू हो वहां जुर्माना और अभियोजन शामिल है। 150 परिसरों में चल रहे सत्यापन अभ्यास से डिजिटल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है, जो इन योजनाओं के पीछे के संजाल को खत्म करने और कानून के अंतर्गत जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

फिलहाल आगे की जांच चल रही है।

करदाताओं को पुनः सलाह दी जाती है कि वे अपनी आय और संचार निर्देशांक का सही विवरण दाखिल करें और अनधिकृत एजेंटों या बिचौलियों द्वारा अनुचित वापसी का वादा करने वाली सलाह से प्रभावित न हों।

(वी. रजिता)
आयकर आयुक्त
(मीडिया और तकनीकी नीति) और
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी